न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 93 / 2010 निर्णय दिनांक 9.12.2019

तहसीलदार (राजस्व) लैण्ड होल्डर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर
————वादी

बनाम

1 मांगीलाल 2 भंवरलाल 3 मोहनलाल 4 दाराराम 5 श्रवणराम पुत्रगणदेवाराम जाति रेगर निवासीगण श्री डूँगरगढ 6 आण्जनेय ऑर्गेनिक हर्बल फार्मस प्राइवेट लिमिटेड, सी—133 रणजीत नगर, भरतपुर
—————प्रतिवादीगण

उपस्थिति—

1. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।
2. श्री नरसाराम जाखड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 की तरफ से ।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।

वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद स्टेट ने जरिये पैरोकार राज के माध्यम से पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी राजस्थान सरकार के तहसीलदार (राजस्व) श्री डूँगरगढ के पद पर कार्यरत है तथा प्रार्थी कृषि भूमि के संबंध में लेण्ड होल्डर है । तहसील श्री डूँगरगढ स्थित गांव जेतासर की रोही में एक खेत खसरा नम्बर 840 / 651 तादादी 25 बीघा का स्थित है । यह खेत अप्राथी संख्या 1 ता 5 के साथ —साथ भागीरथ गंगा व जमना रेगर की खातेदारी का स्थित है । इस खेत में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का 5 / 8 हिस्सा खातेदारी के रूप में रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज है । इस खेत के वर्तमान में खसरा नम्बर 966 तादादी 6.32 हैक्टयर है । अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने राजस्थान काष्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन करते हुए अपने 5 / 8 हिस्से की खातेदारी भूमि का विक्रय अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न करते हुए अप्रार्थी संख्या 6 के पक्ष में दिनांक 26.9.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय की है । जो कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है । विक्रय पत्र शून्य है । अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 रेगर जाति के व्यक्ति है । रेगर जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है । जबकि अप्रार्थी संख्या 6 अनुसूचित की श्रेणी में शामिल नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने उपरोक्त खेत में स्थित अपने 5 / 8 हिस्सा खातेदारी भूमि का जो विक्रय पत्र दिनांक 26.9.2005 को संपादित किया है वो धारा 42 आरटी एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है तथा विक्रय पत्र गैर कानूनी अवैध व शुरू से ही शुन्य है । विक्रय पत्र दिनांक 26.9.2005 निष्पादित होने से अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं । और विक्रय पत्र गैर कानूनी व शुन्य होने से अप्रार्थी संख्या 4 को खातेदारी के रूप में कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकते । अप्रार्थीगण द्वारा गैर कानूनी हस्तान्तरण खातेदारी भूमि के संबंध में किए जाने से प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध बेदखली का अधिकार प्राप्त हो चुका है । विक्रय पत्र दिनांक 26.9.2005 का है । इसलिए यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय सूची के भाग 2 के अन्तर्गत हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है । वादगत खेत गांव जेतासर तहसील श्री डूँगरगढ की रोही में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र आपके न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है । धारा 175 आर टी एक्ट सपठित धारा 63 आरटी एक्ट के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है । अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के

द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 (जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है) के पक्ष में किए गए विक्रय पत्रसे प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 175 आरटीएक्ट के अन्तर्गत उक्त खेत की 15.625 बीघा जमीन को सिवाय चक रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज करने का वाद हेतु प्राप्त हो चुका है । प्रार्थी लेण्ड होल्डर है और राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि है । इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेष करने का अधिकार है । अतः प्रार्थना पत्र पेष कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 840/651 तादादी 6.32 हैक्टयर नये खसरा नम्बर 966 तादादी 6.32 हैक्टयर रोही जेतासर तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के हिस्से की कुल 5/8 हिस्सा भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किए जाने का आदेष प्रदान करने व उक्त 5/8 हिस्सा रकबा को अराजीराज यानि सिवाय चक के रूप में रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 6 की तरफ से जबाब पेष हुआ कि अप्रार्थी संख्या 6 (प्रार्थी) द्वारा उपरोक्त रकवा कानामान्तरण दर्ज करवाने हेतु कई प्रार्थना पत्र तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को दिये परन्तु तहसीलदार ने मौखिक रूप से यह कह कर कि उपरोक्त रकवा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की होने के कारण उक्त रकबा का नामान्तरण अप्राथी। संख्या 6 (प्रार्थी) के नाम से दर्ज नहीं किया जा सकता है, तो अप्रार्थी संख्या 6 कम्पनी (प्रार्थी) द्वारा इस विषय की सिविल रिटसंख्या 189/06 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.4.07 में निर्णय दिया कि डीवी सिविल स्पेषन अपील 878/2002 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम इण्डियन ऑयल कारपोरेशन में पारित निर्णय दिनांक 9.1.2003 के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावें । इस याचिका में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि क्रय की गई थी तथा इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन को विधिक व्यक्ति की परिभाषा में लेते हुए उसकी कोई जाति नहीं होने का उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय ने किया है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.4.2007 के विरूद्ध स्टेट के द्वारा डी बी सिविल स्पेशल अपील सं. 1177/2008 दायर की गई । जो माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.9.2008 के द्वारा खारिज फरमा दी गई । इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 9.1.2010 फाईनल निर्णय हो गया, जिसकी पालना प्रार्थी (तहसीलदार श्री डूँगरगढ) को करनी चाहिये थी । उसके बजाय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कतई गलत, गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा साथ ही तहसीलदार श्री डॅगरगढ को निर्देश दिया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय की पालना में अप्रार्थी संख्या 6 के नाम से नामान्तरण दर्ज किया जावे । अप्रार्थी संख्या 6 के द्वारा कई बार उपरोक्त रकबा नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए साथ में दस्तावेज (फोटो प्रति विक्रय पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय की प्रतियां) प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय के आदर्ष दिनांक 9.1.2010 की पालना में अप्राथी। संख्या 6 के नाम से नामान्तरण दर्ज किया जावे, परन्तु तहसीलदार, श्री डॅगरगढ के द्वारा ना तो नामान्तरण दर्ज किया गया तथा ना ही कोई न्याय संगत जवाब ही दिया,उक्त कृत्य भी माननीय न्यायालय की अवमानना की तारीख में आता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे । साथ ही प्रार्थी (तहसीलदार श्री डूँगरगढ) को निर्देशित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय की पालना में कार्यवाही करें । अप्रार्थी संख्या 6 एक

विधिक व्यक्ति है । जिसकी कोई जाति नहीं होती है, यह तथ्य निर्विवाद रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने माना है । इसलिए अप्रार्थी संख्या 6 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का किसी प्रकार से उलंघन नहीं किया है । इसलिए प्रार्थी को इस रकबा पर धारा 175 आर टी ए सपठित धारा 63 आर टी ए के तहत कार्यवाही करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतया असंवैधानिक होने के कारण खारिज योग्य हे । जिसे खारिज फरमाया जावें साथ ही प्रार्थी (तहसीलदार, श्री डूँगरगढ) को निर्देषित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय की पालना में कार्यवाही करें । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई गलत गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण मय खर्चा खारिज किया जावे साथ ही प्रार्थी (तहसीलदार, श्री डूँगरगढ) को निर्देषित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय की पालना में कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या 6 के नाम से राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण दर्ज किया जावें ।

प्रतिवादी अधिवक्ता लम्बे समय से अनुपस्थित है उनके द्वारा प्रकरण की पैरवी नहीं की जा रही है । इस प्रकरण की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो चुकी है । प्रतिवादी अधिवक्ता लम्बे समय से अनुपस्थित है उनके द्वारा प्रकरण की पैरवी नहीं की जा रही है । इस प्रकरण की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो चुकी है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दायर सिविल अपील 6741–6742/2012 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम आण्जनेय औरगेनिक हर्बल फार्मस प्राइवेट लिमिटेड का निर्णय दिनांक 20.9.2012 को हो चुका है । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को निरस्त किया आ चुका है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति की भूमि किसी भी स्थिति में अन्य को हस्तान्तरित नहीं हो सकती । विक्रय पत्र दिनांक 26.9.2005 प्रारम्भ से ही षून्य है । उप पंजीयक, श्री डूँगरगढ ने विक्रय पत्र में धारा 39 का नोट लगाया हुआ है जिसके कारण उक्त भूमि का आज तक नामान्तरणकरण दर्ज नहीं हो सका । चूंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है । अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 840/651 तादादी 6.32 हैक्टयर नये खसरा नम्बर 966 तादादी 6.32 हैक्टयर रोही जेतासर तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के हिस्से की कुल 5/8 हिस्सा भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किए जाने के आदेष दिये जाते है तथा उनके द्वारा विक्रय किया गया 5/8 हिस्सा रकबा को अराजीराज यानि सिवाय चक के रूप में रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी:— राकेश कुमार न्योल (आर.ए.एस.)

उनवान

तहसीलदार (राजस्व) लैण्ड होल्डर तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

1. मांगीलाल 2. भंवरलाल 3. मोहनलाल 4. दाराराम 5. श्रवणराम पुत्रगण देवाराम जाति रेगर निवासीगण श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर 6. आण्जनेय ऑर्गेनिक हर्बल फार्मस प्राईवेट लिमिटेड, सी—133 रणजीत नगर, भरतपुर

वाद अन्तर्गत धारा 175 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर **93/2010** निर्णय दिनांक **09.12.2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी सं. 6 की तरफ से श्री नरसाराम जाखड अधिवक्ता मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 840/651 तादादी 6.32 हैक्टयर नये खसरा नम्बर 966 तादादी 6.32 हैक्टयर वाके रोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के हिस्से की कुल 5/8 हिस्सा भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है तथा उनके द्वारा विक्रय किया गया 5/8 हिस्सा रकबा को अराजीराज यानि सिवाय चक के रूप में रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है ।

लीज..0..मुबलिग..0..बाबत..0..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह..0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 09 माह दिसम्बर सन् 2019 को जारी किया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	व	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह—भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		0
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ